

कार्यालय, रक्षा लेखा महानियंत्रक
उलन बटार रोड, पालम, दिल्ली छावनी - 110010

दूरभाष: 011-25674854

फैक्स: 011-25674781

महत्वपूर्ण परिपत्र

सं. : प्रशा.-I/1399/ए.पी.ए.आर./परिपत्र

दिनांक: 26.07.2016

सेवा में,

सभी र.ले.प्र.नि./र.ले.नि. एवं समकक्ष
(र.ले.म.नि. वैबसाइट के माध्यम से)

विषय:- वार्षिक कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (APAR) को पूरा करना।

वा.का.मूरि. भेजने की प्रक्रिया के दौरान महसूस किया गया कि अधिकारी, जिनकी रिपोर्ट लिखी जानी है, वे भी रिपोर्टिड(reported)/रीव्यूड(reviewed)/एक्सेप्टिड (accepted) वा.का.मूरि. को मुख्यालय कार्यालय भेजने में शामिल होते हैं जो कि इस कार्य के लिए जारी अनुदेशों की भावनाओं के विरुद्ध है। जिस अधिकारी की रिपोर्ट लिखी जानी है उसकी रिपोर्ट तक पहुँच तभी होनी चाहिए जब रिपोर्ट पूर्ण हो चुकी हो तथा भारत सरकार, कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 14.05.2009 के कार्यालय ज्ञापन सं. 21011/1/2005-Estt.(A) (P-II) के पैरा 2 (ii) के दिए प्रावधानों के अन्तर्गत रिपोर्ट की प्रति संबंधित व्यक्ति को दी जानी हो।

2. उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अनुरोध है कि किसी भी परिस्थिति में उस अधिकारी, जिनकी रिपोर्ट लिखी जानी हो को रिपोर्ट भेजने आदि की प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। जब तक कि वा.का.मूरि. अंतिम चरण तक न पहुँच जाए और उस पर कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 14.05.2009 के कार्यालय ज्ञापन सं. 21011/1/2005-Estt.(A) (P-II) के अनुसार कार्रवाई की जानी हो।

3. यह भविष्य में मार्गदर्शन के लिए है और इसका कड़ाई से पालन किया जाए।



(शाम देव)

रक्षा लेखा संयुक्त महानियंत्रक (प्रशा.)

प्रतिलिपि :

1. प्रशा - IV अनुभाग (स्थानीय) - उपर्युक्त के अनुसार कार्रवाई के लिए।
2. ईडीपी अनुभाग (स्थानीय) - रक्षा लेखा महानियंत्रक के वैबसाइट में अपलोड करने के लिए।



(शालीन शर्मा)

लेखा अधिकारी (प्रशा.)

Office of the Controller General of Defence Accounts

Ulan Batar Road, Palam, Delhi Cantt. - 110010

Tel: 011-25674854

Fax: 011-25674781

IMPORTANT CIRCULAR

No: AN-I/1399/APAR/Circular

Date: 26.07.2016

To,


All PCsDA/CsDA & equivalent
(through CGDA Website)

Subject: - Completion of APARs.

During the course of handling of APARs, it is observed that the officer to be reported upon is involved in forwarding the reported/reviewed/accepted APAR to the HQrs office, which is against the spirit of instructions on the subject. The officer to be reported upon should have an access to the APAR only after its completion and when a copy of the same is served upon him/her in terms of the provisions contained in Para 2(ii) of the G.I., DOP&T, OM No. 21011/1/2005-Estt.(A)(P-II), dated 14.05.2009.


2. In view of the above, it is requested that, under no circumstances, the officer to be reported upon should be involved in the process viz. forwarding, etc., till the APAR reaches the stage of finality and action is to be taken in terms of Para 2(ii) of DOP&T OM dated 14.05.2009.

3. This is for future guidance and strict compliance, please.


(Sham Dev)
Joint CGDA (AN)

Copy to:

1. AN IV Section (Local) - For similar action as above.
2. EDP Section (Local) - For uploading on CGDA's website.


(Shaleen Sharma)
A.O. (AN)